

Ghaziabad

Action Plan for Hotspots Identified for Air Pollution Sources

S. No.	Hotspot wrt Air Pollution	Major Air Pollution Sources
1	Sahibabad	a) Traffic congestion b) Industrial Emission c) Road Dust d) MSW Dumping/Burning
2	Indirapuram	a) Traffic Congestion b) Road Dust
3	Raj Nagar Extension	a) Construction b) Road Dust c) MSW Dumping/Burning
4	Meerut Road	a) Traffic b) RRTS Construction
5	Loni	a) Open Storage of Building Construction Material b) Construction Activities c) Unauthorized Open Burning of Plastic/Electronic/MSW d) Unpaved Roads
6	Bhopura - Delhi Border	a) Open Storage of Construction Material b) Road Dust c) Waste Burning
7	South Side GT Road	a) Unpaved Roads b) Industrial Emissions
8	Sanjay Nagar	a) Traffic Congestion b) Unpaved Areas c) CNG/Fuel Refill Stations traffic (hyperlocal impact)
9	Vasundhara	a) RRTS Construction Yard b) Open/Vacant plots of Aawas Vikas c) MSW/C&D
10	Sidharth Vihar	a) Construction b) Road Dust

Action Plan for each of the above identified hotspots has been annexed as **Annexure A**.

Besides this, concerned departments have to be vigilant in their jurisdiction area with regards to activities like open dumping/burning of waste, unauthorized storage of C&D waste, unauthorized operation of air polluting furnace/industries, generation of road dust due to brooming and unpaved roads.

All departments to nominate nodal officer for compliance of action plan. Names along with designation, mobile number and details of link officer to be given to the office of District Magistrate, Ghaziabad and Regional Office, UP Pollution Control Board by 09.10.2021. Also, details of daily actions taken by all concerned departments to be sent by 4:00 PM daily on format attached as **Annexure B**.

ACTION PLAN FOR CONTROL OF AIR POLLUTION IN HOT SPOTS IN GHAZIABAD

Sr. No.	Hot spot location /area	Criteria of selecting Hot spot (Industrial /Vehicular/Dust Emissions etc.)	Nodal Agency	Actions Points	Time frame for complete action
1	Sahibabad	a) Unpaved Roads b) Road Dust c) MSW Dumping/Burning d) Industrial Emission	a) GNN b) UPPCB	<p>Unpaved Roads:</p> <p>Directions issued to GNN to ensure repair work of roads before onset of winters.</p> <p>GNN to ensure regular deployment of mist sprinklers as per roster attached as Annexure I.</p> <p>GNN to ensure Mechanical Sweeping on main roads as per roster attached as Annexure II.</p> <p>GNN to organize a sensitization work-shop with Sanitary Inspectors and issue directions and prepare SOP for weekly road washing and removal of dust.</p> <p>Water intensive industries to sprinkle treated water near their premises to control dust emissions.</p> <p>GNN to use polymers for road dust suspension as suggested by Central Pollution Control Board.</p>	<p>30.10.2022</p> <p>Daily</p> <p>Daily</p> <p>15.10.2022</p> <p>Daily</p> <p>Regular</p>

			<p>Solid Waste: GNN to start enclosed Material Transfer Stations in Industrial areas for point collection of non-hazardous solid industrial waste.</p> <p>GNN to prepare roster for lifting of municipal and non-hazardous solid waste from industrial areas and dispose it through a concessionaire.</p> <p>Activate Quick Response Teams (QRT) to take immediate remedial measures and punish violators in case of any incidence of waste burning.</p> <p>GNN to depute teams to survey the area and identify locations where special efforts have to be made to curb waste dumping/burning</p> <p>Industrial Emissions: UPPCB to ensure that industries use approved fuels only. Action to be initiated under Air Act for violations which shall include prosecution as well as imposition of environmental compensation.</p> <p>District Administration and UPPCB to do random inspection of industries during night patrolling to check violations.</p> <p>Industries to ensure that names are written on stacks so that defaulters may be identified</p> <p>Industries to ensure that Air Pollution Control Devices are operational during operation of air polluting activities.</p> <p>Industries to ensure that OCEMS are installed and calibrated and</p>	<p>30.10.2022</p> <p>As per timeline decided in stakeholder consultation. Minimum twice a week</p> <p>Immediate</p> <p>Weekly</p> <p>Regular</p> <p>Regular</p> <p>1.10.2022</p> <p>Regular</p> <p>Immediate</p>
--	--	--	---	--

				<p>linked to CPCB server in all Large/Medium air polluting units.</p> <p>Air polluting Industries to ensure operation of PTZ Cameras focusing on stacks and give feed to UPPCB.</p> <p>Industries to give an undertaking regarding compliance of conditions of CTO and use of fuel as listed in CTO issued by Board</p> <p>RMCs to ensure compliance of CTO conditions and adherence to MoEF&CC's notification dated 25.01.2018 annexed as Annexure III.</p>	<p>15.10.2022</p> <p>15.10.2022</p> <p>10.10.2022</p>
2	Indirapuram	a) Traffic Congestion Road Dust	a) GNN b) Traffic Police c) RTO	<p>Traffic Management Plan to be implemented with immediate effect.</p> <p>GNN to ensure deployment of mechanical sweepers and mist sprinklers/tankers for suppression of dust.</p> <p>GNN to use polymers for road dust suspension as suggested by Central Pollution Control Board.</p> <p>In order to address over all environmental concern of the area, Environmental Management Plan for Indirapuram to be adhered to by concerned departments.</p>	<p>Immediate</p> <p>Regular</p> <p>Regular</p>

3	Raj Nagar Extension	a) Construction b) Road Dust c) MSW Dumping/Burning	a) GDA b) CREDAI c) Fire Department	<p>Ghaziabad Development Authority to direct all under construction projects to comply with MoEF&CC's notification dated 25.01.2018 with regards to SOP to be followed during Construction and Demolition Activities.</p> <p>Ghaziabad Development Authority to organize a sensitization and awareness workshop with builders and their contractors for compliance of dust control measures.</p> <p>Ghaziabad Development Authority to ensure installation and operation of Anti-Smog at construction sites.</p> <p>Ghaziabad Development Authority to ensure registration and monthly self-audit of all under construction projects on Dust audit app.</p> <p>Ghaziabad Development Authority to ensure that MSW in Raj Nagar Extension area is not dumped/burnt in open. Defaulters to be identified and booked as per law.</p>	15.10.2022 15.10.2022 15.10.2022 Ongoing Ongoing
4	Meerut Road	a) Traffic b) RRTS Construction c) Road Dust	a) Traffic Police b) NCRTC c) GNN	<p>Traffic Police to regulate traffic with help of additional man power and Civil Defense.</p> <p>Traffic Police to issue traffic advisory for traffic hotspots</p> <p>NCRTC to ensure regular sprinkling and night washing of roads where dust generation is high due to construction of RRTS</p> <p>GNN to ensure night washing and regular sprinkling and mechanized sweeping as per roster.</p> <p>GNN to use polymers for dust suppression as suggested by Central Pollution Control Board.</p> <p>Water intensive industries to sprinkle treated water near their premises to control dust emissions.</p>	Regular Activity Regular Activity Regular Activity Regular Activity Regular Activity

5	Loni	<p>a) Open Storage of Building Construction Material</p> <p>b) Construction Activities</p> <p>c) Unauthorized Open Burning of Plastic/Electronic/MSW</p> <p>d) Unpaved Roads</p>	<p>a) District Administration</p> <p>b) GDA</p> <p>c) NPP, Loni</p> <p>d) Police</p> <p>e) Electricity Department</p> <p>f) UPPCB</p> <p>g) Fire Department</p>	<p>District Administration along with members of team constituted for checking and closure of unauthorized units operational in residential areas to carry out regular surveys and ensure sealing/closure of such units.</p> <p>Ghaziabad Development Authority to carry out complete survey and submit report regarding activities in violation of land use. Action to be initiated against plot owners, including cancellation of plots under the laid down provisions of law.</p> <p>Electricity Department to ensure that no electricity connection for commercial/industrial use is given in residential areas without permission of concerned statutory authorities.</p> <p>Police to ensure that unauthorized movement of waste, plastics, electronic waste etc. does not happen from across the border. Regular drives to seize such material and book offenders to be carried out. Boom barriers may be installed for regulation and checking purpose.</p> <p>NPP, Loni to ensure that solid waste and domestic hazardous waste in the region is collected and disposed at authorized sites in scientific manner. In case of incidences of burning of such waste, action should be initiated against offender.</p> <p>NPP, Loni to ensure night washing and regular sprinkling and mechanized sweeping as per roster.</p> <p>NPP, Loni to use polymers for dust suppression as suggested by Central Pollution Control Board</p> <p>Directions issued to NPP, Loni to ensure repair work of roads before onset of winters. Same to be complied in toto.</p> <p>NPP, Loni to organize a sensitization work-shop with Sanitary Inspectors and issue directions and prepare SOP for weekly road washing and removal of dust.</p> <p>NPP, Loni to Activate Quick Response Teams (QRT) to take immediate remedial measures and punish violators in case of any incidence of waste burning.</p>	<p>Regular Activity</p> <p>30.10.2022</p> <p>Regular Activity</p> <p>Regular Activity</p> <p>Regular Activity</p> <p>Regular Activity</p> <p>30.10.2022</p> <p>20.10.2022</p> <p>Regular Activity</p>
---	------	--	---	---	---

				<p>NPP, Loni to depute teams to survey the area and identify locations where special efforts have to be made to curb waste dumping/burning</p> <p>NPP, Loni to carry out survey and give warning to suppliers of building materials for open storage of material. Action to be initiated against repeated offenders.</p> <p>NPP, Loni to ensure that construction in the area is carried out in adherence to MoEF&CC's notifications dated 25/01/2018 with regards to SOP for construction and demolition activities.</p> <p>NPP, Loni to ensure that transport of waste takes place in covered vehicles only</p> <p>UPPCB to ensure that industries in authorized industrial areas use approved fuel only and operate Air Pollution Control System at the time of operation of air polluting activities.</p>	<p>Weekly</p> <p>Immediate</p> <p>Regular Activity</p> <p>Regular Activity</p> <p>Regular Activity</p>
6	Bhopura – Delhi Border	<p>a) Open Storage of Construction Material</p> <p>b) Road Dust</p> <p>c) Waste Burning</p>	<p>a) District Administration</p> <p>b) GNN</p> <p>c) GDA</p> <p>d) Aawas Vikas</p> <p>e) DPRO</p> <p>f) Fire Department</p>	<p>Teams of District Administration along with concerned land-owning agency to survey the area to identify kabbadi settlements where regular burning of plastic/rubber waste is carried out</p> <p>GNN to carry out survey and ensure that suppliers of building material operate in compliance to laid down norms. In case of repeated violations, penalty may be imposed and material may be seized.</p> <p>GNN to ensure deployment of mechanical sweepers and mist sprinklers/tankers for suppression of dust.</p> <p>GNN to use polymers for road dust suspension as suggested by Central Pollution Control Board.</p> <p>Special Vigilance for stopping waste burning incidences opposite Oxy Homes/Bharat City residential society is to done.</p>	<p>20.10.2022</p> <p>15.10.2022</p> <p>Regular Activity</p> <p>Regular Activity</p> <p>Regular Activity</p>

7	South Side GT Road	a) Unpaved Roads b) Industrial Emissions	a) GNN b) UPPCB	<p>Directions issued to GNN to ensure repair work of roads before onset of winters. Copy of letter annexed as Annexure I.</p> <p>GNN to ensure regular deployment of mist sprinklers and mechanical sweepers as per roster.</p> <p>GNN to organize a sensitization work-shop with Sanitary Inspectors and issue directions and prepare SOP for weekly road washing and removal of dust.</p> <p>Water intensive industries to sprinkle treated water near their premises to control dust emissions.</p> <p>GNN to use polymers for road dust suspension as suggested by Central Pollution Control Board.</p> <p>UPPCB to ensure that industries use approved fuels only. Action to be initiated under Air Act for violations which shall include prosecution as well as imposition of environmental compensation.</p> <p>District Administration and UPPCB to do random inspection of industries during night patrolling to check violations.</p> <p>Industries to ensure that names are written on stacks so that defaulters may be identified</p> <p>Industries to ensure that Air Pollution Control Devices are operational during operation of air polluting activities.</p> <p>Industries to ensure that OCEMS are installed and calibrated and linked to CPCB server in all Large/Medium air polluting units.</p> <p>Air polluting Industries to ensure operation of PTZ Cameras focusing on stacks and give feed to UPPCB.</p> <p>Industries to give an undertaking regarding compliance of conditions of CTO and use of fuel as listed in CTO issued by Board</p>	<p>30.10.2022</p> <p>Regular Activity</p> <p>20.10.2022</p> <p>Regular Activity</p> <p>Regular Activity</p> <p>Regular Activity</p> <p>Regular Activity</p> <p>1.10.2022</p> <p>Regular Activity</p> <p>Immediate</p> <p>15.10.2022</p> <p>15.10.2022</p>
---	-----------------------	---	--------------------	---	---

8	Sanjay Nagar	a) Traffic Congestion b) Unpaved Areas c) CNG/Fuel Refill Station	a) GNN b) GDA c) RTO d) Fire Department e) IGL	<p>Traffic Police to regulate traffic near District Combined Hospital with help of additional man power and Civil Defense.</p> <p>GNN to prepare comprehensive plan for road repair adjacent to District combined hospital, installation of anti-smog gun, use of polymers for dust suppression and landscaping.</p> <p>GNN to ensure removal of building material stored in open and closure of unauthorized eateries using solid fuel for cooking</p> <p>RTO to ensure that the bus stand is paved and concretized, idling time of buses is minimized and movement is regulated so as to optimize the space.</p> <p>Fire Department to pave/concretize its plot and make sure that its plot is not utilized for other activities</p> <p>GDA to ensure that vacant plots in the area adjacent to District Combined Hospital and its vicinity are covered and utilized only for purpose for which they are allotted.</p> <p>IGL to ensure and regulate traffic movement near its refilling station. IGL shall carry out sprinkling activity within its vicinity.</p>	<p>Immediate</p> <p>Immediate</p> <p>Immediate</p> <p>Immediate</p> <p>Immediate</p> <p>Immediate</p>
9	Vasundhara	a) RRTS Construction Yard b) Open/Vacant plots of Aawas Vikas c) MSW/C&D	a) NCRTC b) Aawas Vikas c) GNN d) Fire Department	<p>NCRTS to ensure compliance of conditions of CTO and MoEF&CC's notification dated 25.01.2018 with regards to SOP for dust mitigation in construction and demolition activities.</p> <p>Aawas Vikas to identify owners of vacant plots and issue them notice for constructing boundaries on vacant plots, ensuring sprinkling facility.</p> <p>Aawas Vikas to identify unauthorized kabbadi settlements on vacant plots in Vasundhara area and take action against those burning plastic/rubber/solid waste.</p> <p>GNN to identify sites where C&D and MSW is lying in heaps and remove them on priority to avoid air emissions due to these sources.</p>	<p>Immediate</p> <p>15.10.2022</p> <p>Immediate</p> <p>Immediate</p>

DAILY STATUS ON ACTIONS TAKEN AGAINST AIR POLLUTING ACTIVITIES

➤ **Date:****(till 5:00PM everyday)**

Sl. No.	Type of Violation	Total Nos. of Inspections	Total Nos. of Defaults	Action taken				
				Nos. of Notices Served	Fine imposed	No of closure done	No of FIRs	Prosecutions initiated
1	Dusts from C&D Activities							
2	Unauthorized operation of Ready-Mix Plant							
3	Dusts from Unpaved roads / broken roads							
4	C&D waste dumping							
5	Garbage dumping							
6	Industrial waste dumping							
7	Garbage burning							
8	Industrial waste burning							
9	Paraali / Biomass burning							
10	Un-auth / Illegal running of brick kilns / Hot mix plant / stone crusher							
11	Air Pollution from industry							
12	Pollution from DG set							
13	Unauthorized entry of vehicle							
14	Polluting vehicle							
15	Unauthorized parking of vehicle							
16	Traffic Congestion							
17	Any other Action / Activity SPCBs/PCC may like to report							

Water Sprinkling / Mechanical Sweeping:			
No of tankers deployed	Number of Sweeping Machines deployed	Stretch of roads where water sprinkling / mechanical sweeping have been carried out	Major areas covered

रूट चार्ट प्रारूप		शिफ्ट: प्रथम ANNEXURE-I		
जोन का नाम		सिटी जोन	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्वीपिंग	स्प्रिंकल
वाहन संख्या		-	वाहन चालक का नाम व मोबाइल - नवदीप- 9560480487	
माह		सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाइल	श्री अशोक कुमार 8178016921
क्रम सं०	तिथि	कार्य करने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	प्रतिदिन	07.00 AM To 08.45 AM	दौलतपुरा फलाई ओवर से हिण्डन नदी के पुल तक आना जाना	10
2	प्रतिदिन	08.45 AM To 09.45 AM	लोहिया नगर रेलवे कासिंग से ठाकुर द्वारा मन्दिर तक आना जाना	3
3	प्रतिदिन	09.45 AM To 11.00 AM	चौधरी मोड से मेरठ रोड तक आना जाना	6
4	प्रतिदिन	11.00 AM To 01.00 PM	मेरठ रोड मेरठ तिराहे से राजनगर एक्स0 चौरहे तक आना जाना	10

रूट चार्ट प्रारूप		शिफ्ट: द्वितीय		
जोन का नाम		सिटी जोन	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्वीपिंग	स्प्रिंकल
वाहन संख्या		-	वाहन चालक का नाम व मोबाइल - आसिफ-9069985196	
माह		सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाइल	श्री अशोक कुमार 8178016921
क्रम सं०	तिथि	कार्य करने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	प्रतिदिन	02.00 PM To 03.30 PM	हिण्डन मेट्रो स्टेशन से करहेडा पुल होते हुए सिटी फोरेस्ट के गेट तक आना जाना	8
2	प्रतिदिन	03.30 PM To 04.30 PM	कालका गढी चौराहे से होली चार्ज्ड फलाई ओवर रेलवे कासिंग तक आना जाना	4
3	प्रतिदिन	04.30 PM To 05.30 PM	मेरठ तिराहे से प्रताप विहार फलाई ओवर रेलवे कासिंग तक आना जाना	4
4	प्रतिदिन	05.30 PM To 07.00 PM	राजनगर एक्स0 चौराहे से मेरठ तिराहे तक आना जाना	10
5	प्रतिदिन	07.00 PM To 08.00 PM	नन्द ग्राम मोड से मरियम हॉस्पिटल तक आना जाना	3

रूट चार्ट प्रारूप

शिफ्ट: प्रथम

जोन का नाम		कविनगर	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्विपिंग	स्प्रिंकल
वाहन संख्या		वाहन चालक का नाम व मोबाईल नं०- अमित।-75034065576		
माह		सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाईल	श्री नरेन्द्र कुमार, 8178016930
क्र०सं०	तिथि	कार्यकरने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	प्रतिदिन	04.00 AM To 12.00 AM	ए०एल०टी पुल से श्यामा मुखर्जी पार्क तक दोनो साईड राजनगर एक्स० चौक से डायमण्ड पुल तक दोनो साईड संजय नगर की दोनो साईड, आर०डी०सी० पुल से हापुड चुंगी तक दोनो साईड	40

रूट चार्ट प्रारूप

शिफ्ट: द्वितीय

जोन का नाम		कविनगर	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्विपिंग	स्प्रिंकल
वाहन संख्या		वाहन चालक का नाम व मोबाईल नं०-		
माह		सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाईल	श्री नरेन्द्र कुमार, 8178016930
क्र०सं०	तिथि	कार्यकरने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	प्रतिदिन	05.00 PM To 12.00 PM	कलैक्ट्रेट पुल से पेट्रोल पम्प नगर निगम की सीमा तक दोनो साईड गोविन्दपुरम पुलिस चौकी से बस स्टैण्ड ई० ब्लॉक दोनो साईड बस स्टैण्ड ई० ब्लॉक से चरनसिंह रोड व राजनगर पुल की दोनों साईड	40

रूट चार्ट प्रारूप		शिफ्ट: प्रथम		
जोन का नाम	मोहन नगर	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्वीपिंग	स्प्रिंकल	
वाहन संख्या	-	वाहन चालक का नाम व मोबाइल - धनेश - 7710757204		
माह	सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाइल	श्री संजीव कुमार, 8178016838	
क्रम सं०	तिथि	कार्य करने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	Day-1	07.00 AM To 01.00 PM	शहीद नगर बार्डर से राजेन्द्र नगर मेट्रो स्टेशन तक	20
2	Day-2	07.00 AM To 01.00 PM	तुलसी निकेतन पुलिस चौकी से गरिमाजंली स्कूल तक, लोनी रोड कोयल एन्कलेव तक	22
3	Day-3	07.00 AM To 01.00 PM	करन गेट चौक से राजेन्द्र नगर मेट्रो स्टेशन, जिन्दल रोड, 150 फुटा, ई0एस0आई0 रोड	20
4	Day-4	07.00 AM To 01.00 PM	डी0एल0एफ0 रोड, सिकन्दपुर रोड, रजनीगंधा से शनि मन्दिर (शहिदनगर) तक	20
5	Day-5	07.00 AM To 01.00 PM	राजेन्द्र नगर मेट्रो चौक से अप्सरा बार्डर तक	20
6	Day-6	07.00 AM To 01.00 PM	भौपुरा बार्डर से 150 फुटा, लोनी रोड कोयल एन्कलेव तक	22
7	Day-7	07.00 AM To 01.00 PM	ई0एस0आई0 रोड, 150 फुटा रोड, गैराज रोड, जिन्दल रोड	22
8	Day-8	07.00 AM To 01.00 PM	सिकन्दरपुर रोड, डी0एल0एफ0 रोड, रजनीगंधा से शनिमंदिर (शहिदनगर) तक	20

रूट चार्ट प्रारूप		शिफ्ट: द्वितीय		
जोन का नाम	मोहन नगर	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्वीपिंग	स्प्रिंकल	
वाहन संख्या	-	वाहन चालक का नाम व मोबाइल -		
माह	सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाइल	श्री संजीव कुमार, 8178016838	
क्रम सं०	तिथि	कार्य करने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	Day-1	01.00 PM To 06.00 PM	गरिमाजंली स्कूल से आई0टी0एस0 कट तक दोनो साईड	20
2	Day-2	01.00 PM To 06.00 PM	हिन्दन नदी पुल से राजेन्द्रनगर मेट्रो स्टेशन तक दोनो साईड	20
3	Day-3	01.00 PM To 06.00 PM	एलीवेटड रोड, वी0आई0पी0 रोड, जोनल ऑफिस रोड, करहैडा पुल, साहिबाबाद पुल रोड	20
4	Day-4	01.00 PM To 06.00 PM	करनगेट चौक से पीर तक दोनो साईड, चौकी से ईदगाह रोड तक	20

रूट चार्ट प्रारूप			शिफ्ट: प्रथम	
जोन का नाम		वसुन्धरा	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्वीपिंग	स्प्रिंकल
वाहन संख्या		UP-14-GT-6214	वाहन चालक का नाम व मोबाइल - हरदीप , 7065429600	
माह		सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाइल	श्री योगेन्द्र कुमार, 8178016840
क्रम सं०	तिथि	कार्य करने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	प्रतिदिन	07.00 AM To 01.00 PM	गौराज से निकल कर बुध चौक सम्राट गुर्जर चौक सहिबाद रेड लाईट होते हुए सीर ऊर्जा मार्ग कौशाम्बी डिपो तक दोनो साईड औद्योगिक क्षेत्र पुलिस चौकी से सूर्यनगर पुलिस चौकी व ब्रजविहार राधा कुंज से दिल्ली बोर्डर तक डिपो से डाबर रोड दोनो साईड कन्ट्रीइन होटल से औद्योगिक क्षेत्र साईट 4 पुलिस चौकी कौशाम्बी के आन्तरिक रोड सीमान्त विहार के आन्तरिक यू0पी0 गेट	-

रूट चार्ट प्रारूप			शिफ्ट: द्वितीय	
जोन का नाम		वसुन्धरा	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्वीपिंग	स्प्रिंकल
वाहन संख्या			वाहन चालक का नाम व मोबाइल -	
माह		सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाइल	श्री योगेन्द्र कुमार, 8178016840
क्रम सं०	तिथि	कार्य करने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	प्रतिदिन	01.00 PM To 06.00 PM	लिक रोड दोनो साईड 4 ए वसुन्धरा चौराहे से सी0एन0जी0 रोड मण्डी से अटल चौक 4 ए चौक से मेवाड रोड कनावनी से रेड लाईट रोड तथा भवन से मैन रोड दोनो साईड तथा काली मंदिर से रामप्रस्थ रोड, तथा शोपिकम माल रोड से रामप्रस्थ रोड, वसुन्धरा सै 1 से नहर किनारे सै 19 तक रोड परशुराम चौक से रूप चौधरी व नहर किनारे तक रोड	-

रूट चार्ट प्रारूप

शिफ्ट: प्रथम

जोन का नाम		विजय नगर जोन	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्विपिंग	स्प्रिंकल
वाहन संख्या		वाहन चालक का नाम व मोबाईल नं०-		
माह		सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाईल	श्रीमति हिर्देश, 9634107006
क्र०सं०	तिथि	कार्यकरने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	प्रतिदिन	07.00 AM To 01.00 PM	प्रताप विहार फ्लाई ओवर रेलवे क्रॉसिंग से एन०एच० 24 तक आना जाना	10
2	प्रतिदिन	07.00 AM To 01.00 PM	लीलावती चौराहे से सम्राट चौक तक आना जाना	3
3	प्रतिदिन	07.00 AM To 01.00 PM	लीलावती चौराहे से शिव मंदिर तक पार्श्व जी श्री संतराम यादव वाली रोड तक आना जाना	2
4	प्रतिदिन	07.00 AM To 01.00 PM	लीलावती चौराहे से राहुल विहार द्वितीय तक	4
5	प्रतिदिन	07.00 AM To 01.00 PM	मेडिकल चौराहे से डी०ए०वी० चौराहे तक	2
6	प्रतिदिन	07.00 AM To 01.00 PM	गौशाला फाटक से एन०एच० 24 तक आना तक	10
7	प्रतिदिन	07.00 AM To 01.00 PM	सैन चौक से उत्सव भवन तक	4
8	प्रतिदिन	07.00 AM To 01.00 PM	एन०एच०24 से लेकर तिगडी गोल चक्कर तक	10

रूट चार्ट प्रारूप

शिफ्ट: द्वितीय

जोन का नाम		विजय नगर जोन	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्विपिंग	रोड स्विपिंग
वाहन संख्या		वाहन चालक का नाम व मोबाईल नं०-		
माह		सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाईल	श्रीमति हिर्देश, 9634107006
क्र०सं०	तिथि	कार्यकरने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	प्रतिदिन	01.00 PM To 06.00 PM	प्रताप विहार फ्लाई ओवर रेलवे क्रॉसिंग से एन०एच० 24 तक आना जाना	10
2	प्रतिदिन	01.00 PM To 06.00 PM	लीलावती चौराहे से सम्राट चौक तक आना जाना	3
3	प्रतिदिन	01.00 PM To 06.00 PM	लीलावती चौराहे से शिव मंदिर तक पार्श्व जी श्री संतराम यादव वाली रोड तक आना जाना	2
4	प्रतिदिन	01.00 PM To 06.00 PM	लीलावती चौराहे से राहुल विहार द्वितीय तक	4
5	प्रतिदिन	01.00 PM To 06.00 PM	मेडिकल चौराहे से डी०ए०वी० चौराहे तक	2
6	प्रतिदिन	01.00 PM To 06.00 PM	गौशाला फाटक से एन०एच० 24 तक आना तक	10
7	प्रतिदिन	01.00 PM To 06.00 PM	सैन चौक से उत्सव भवन तक	4
8	प्रतिदिन	01.00 PM To 06.00 PM	एन०एच०24 से लेकर तिगडी गोल चक्कर तक	10

ANNEXURE-II

रूट चार्ट प्रारूप		शिफ्ट: प्रथम		
जोन का नाम	सिटी जोन	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्वीपिंग	रोड स्वीपिंग	
वाहन संख्या	UP-14-GT-8743	वाहन चालक का नाम व मोबाइल - वसीम-1, 9818485589		
माह	सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाइल	श्री अशोक कुमार 8178016921	
क्रम सं०	तिथि	कार्य करने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	प्रतिदिन	04.00 AM To 07.00 AM	दौलतपुरा फलाई ओवर से हिण्डन नदी के पुल तक आना जाना	10
2	प्रतिदिन	07.00 AM To 08.00 AM	लोहिया नगर रेलवे कासिंग से ठाकुर द्वारा मन्दिर तक आना जाना	3
3	प्रतिदिन	09.00 AM To 10.30 AM	चौधरी मोड से मेरठ रोड तक आना जाना	6
4	प्रतिदिन	10.30 AM To 12.00 AM	मेरठ रोड मेरठ तिराहे से राजनगर एक्स0 चौराहे तक आना	5

रूट चार्ट प्रारूप		शिफ्ट: द्वितीय		
जोन का नाम	सिटी जोन	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्वीपिंग	रोड स्वीपिंग	
वाहन संख्या	UP-14-GT-8743	वाहन चालक का नाम व मोबाइल - शादाब - 9310931200		
माह	सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाइल	श्री अशोक कुमार 8178016921	
क्रम सं०	तिथि	कार्य करने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	प्रतिदिन	02.00 PM To 04.00 PM	हिण्डन मैट्रो स्टेशन से करहेडा पुल होते हुए सिटी फोरेस्ट के गेट तक आना जाना	8
2	प्रतिदिन	04.00 PM To 05.00 PM	कालका गढी चौराहे से होली चाईल्ड फलाई ओवर रेलवे कासिंग तक आना जाना	4
3	प्रतिदिन	08.00 PM To 09.15 PM	मेरठ तिराहे से प्रताप विहार फलाई ओवर रेलवे कासिंग तक आना जाना	4
4	प्रतिदिन	09.15 PM To 11.00 PM	राजनगर एक्स0 चौराहे से मेरठ तिराहे तक आना	5
5	प्रतिदिन	11.00 PM To 12.00 PM	नन्द ग्राम मोड से मरियम हॉस्पिटल तक आना जाना	3

रूट चार्ट प्रारूप

शिफ्ट: प्रथम

जोन का नाम		कविनगर	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्विपिंग	रोड स्विपिंग
वाहन संख्या		UP-14-DT-5547	वाहन चालक का नाम व मोबाईल नं०- राहुल, 7042597247	
माह		सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाईल	श्री नरेन्द्र कुमार, 8178016930
क्र०सं०	तिथि	कार्यकरने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	प्रतिदिन	04.00 AM To 12.00 AM	ए०एल०टी पुल से श्यामा मुखर्जी पार्क तक दोनो साईड राजनगर एक्स० चौक से डायमण्ड पुल तक दोनो साईड संजय नगर की दोनो साईड, आर०डी०सी० पुल से हापुड चुंगी तक दोनो साईड	40

रूट चार्ट प्रारूप

शिफ्ट: द्वितीय

जोन का नाम		कविनगर	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्विपिंग	रोड स्विपिंग
वाहन संख्या		UP-14-DT-5547	वाहन चालक का नाम व मोबाईल नं०-	
माह		सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाईल	श्री नरेन्द्र कुमार, 8178016930
क्र०सं०	तिथि	कार्यकरने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	प्रतिदिन	05.00 PM To 12.00 PM	कलैक्ट्रेट पुल से पेट्रोल पम्प नगर निगम की सीमा तक दोनो साईड गोविन्दपुरम पुलिस चौकी से बस स्टैण्ड ई० ब्लॉक दोनो साईड बस स्टैण्ड ई० ब्लॉक से चरनसिंह रोड व राजनगर पुल की दोनों साईड	40

रूट चार्ट प्रारूप		शिफ्ट: प्रथम		
जोन का नाम	मोहन नगर	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्वीपिंग	रोड स्वीपिंग	
वाहन संख्या	UP-14-GT-8731	वाहन चालक का नाम व मोबाइल - शिव शंकर -8700231738		
माह	सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाइल	श्री संजीव कुमार, 8178016838	
क्रम सं०	तिथि	कार्य करने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	Day-1	07.00 AM To 01.00 PM	शहीद नगर बार्डर से राजेन्द्र नगर मैट्रो स्टेशन तक	20
2	Day-2	07.00 AM To 01.00 PM	तुलसी निकेतन पुलिस चौकी से गरिमाजंली स्कूल तक, लोनी रोड कोयल एन्कलेव तक	22
3	Day-3	07.00 AM To 01.00 PM	करन गेट चौक से राजेन्द्र नगर मैट्रो स्टेशन, जिन्दल रोड, 150 फुटा, ई0एस0आई0 रोड	20
4	Day-4	07.00 AM To 01.00 PM	डी0एल0एफ0 रोड, सिकन्दरपुर रोड, रजनीगंधा से शनि मन्दिर (शहिदनगर) तक	20
5	Day-5	07.00 AM To 01.00 PM	राजेन्द्र नगर मैट्रो चौक से अप्सरा बार्डर तक	20
6	Day-6	07.00 AM To 01.00 PM	भौपुरा बार्डर से 150 फुटा, लोनी रोड कोयल एन्कलेव तक	22
7	Day-7	07.00 AM To 01.00 PM	ई0एस0आई0 रोड, 150 फुटा रोड, गैराज रोड, जिन्दल रोड	22
8	Day-8	07.00 AM To 01.00 PM	सिकन्दरपुर रोड, डी0एल0एफ0 रोड, रजनीगंधा से शनिमंदिर (शहिदनगर) तक	20

रूट चार्ट प्रारूप		शिफ्ट: द्वितीय		
जोन का नाम	मोहन नगर	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्वीपिंग	रोड स्वीपिंग	
वाहन संख्या		वाहन चालक का नाम व मोबाइल -		
माह	सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाइल	श्री संजीव कुमार, 8178016838	
क्रम सं०	तिथि	कार्य करने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	Day-1	01.00 PM To 06.00 PM	गरिमाजंली स्कूल से आई0टी0एस0 कट तक दोनो साईड	20
2	Day-2	01.00 PM To 06.00 PM	हिन्दन नदी पुल से राजेन्द्रनगर मैट्रो स्टेशन तक दोनो साईड	20
3	Day-3	01.00 PM To 06.00 PM	एलीवेटड रोड, वी0आई0पी0 रोड, जोनल ऑफिस रोड, करहेडा पुल, साहिबाबाद पुल रोड	20
4	Day-4	01.00 PM To 06.00 PM	करनगेट चौक से पीर तक दोनो साईड, चौकी से ईदगाह रोड तक	20

रूट चार्ट प्रारूप		शिफ्ट: प्रथम		
जोन का नाम	वसुन्धरा	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्वीपिंग	रोड स्वीपिंग	
वाहन संख्या	UP-14-GI-8730	वाहन चालक का नाम व मोबाइल - जितेन्द्र , 9971618010		
माह	सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाइल	श्री योगेन्द्र कुमार, 8178016840	
क्रम सं०	तिथि	कार्य करने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	Day-1	07.00 AM To 01.00 PM	वसुन्धरा अमेठी स्कूल से अग्रसेन चौक टी पार्सन्ट तथा 4 ए चौक से गुर्जर चौक दोनो साईड	22
2	Day-2	07.00 AM To 01.00 PM	आयकर भवन से वैशाली सै0 2 पुलिया मैक्स हॉस्पिटल रोड दोनो साईड तथा रामप्रस्थ रोड दोनो साईड	18
3	Day-3	07.00 AM To 01.00 PM	मोहन नगर चौराहे से वसुन्धरा रेड लाईट से यू0पी0 गेट एक साईड व डाबर से कौशाम्बी डिपो एक साईट	22

रूट चार्ट प्रारूप		शिफ्ट: द्वितीय		
जोन का नाम	वसुन्धरा	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्वीपिंग	रोड स्वीपिंग	
वाहन संख्या		वाहन चालक का नाम व मोबाइल -		
माह	सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाइल	श्री योगेन्द्र कुमार, 8178016840	
क्रम सं०	तिथि	कार्य करने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	Day-1	01.00 PM To 06.00 PM	वसुन्धरा वैशाली का सी एन जी रोड, अटल चौक रोड, वसुन्धरा रेड लाईट से नहर किनारे	18
2	Day-2	01.00 PM To 06.00 PM	वैशाली रेड लाईट से नहर तक दोनो साईड तथा काली मंदिर से रामप्रस्थ रोड दोनों साईड	18
3	Day-3	01.00 PM To 06.00 PM	यू0पी0 गेट से मण्डी होते हुए मोहन नगर चौराहे तथा डाबर रोड एक साईड	22
4	Day-4	01.00 PM To 06.00 PM	वसुन्धरा अमेठी स्कूल से अग्रसेन चौक टी पार्सन्ट तथा 4 ए चौक से गुर्जर चौक दोनो साईड	22

रूट चार्ट प्रारूप

शिफ्ट: प्रथम

जोन का नाम		विजय नगर जोन	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्विपिंग	रोड स्विपिंग
वाहन संख्या		वाहन चालक का नाम व मोबाईल नं०-		
माह		सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाईल	श्रीमति हिर्देश, 9634107006
क्र०सं०	तिथि	कार्यकरने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	प्रतिदिन	07.00 AM To 01.00 PM	प्रताप विहार फ्लाई ओवर रेलवे क्रॉसिंग से एन०एच० 24 तक आना जाना	10
2	प्रतिदिन	07.00 AM To 01.00 PM	लीलावती चौराहे से सम्राट चौक तक आना जाना	3
3	प्रतिदिन	07.00 AM To 01.00 PM	लीलावती चौराहे से शिव मंदिर तक पार्श्व जी श्री संतराम यादव वाली रोड तक आना जाना	2
4	प्रतिदिन	07.00 AM To 01.00 PM	लीलावती चौराहे से राहुल विहार द्वितीय तक	4
5	प्रतिदिन	07.00 AM To 01.00 PM	मेडिकल चौराहे से डी०ए०वी० चौराहे तक	2
6	प्रतिदिन	07.00 AM To 01.00 PM	गौशाला फाटक से एन०एच० 24 तक आना तक	10
7	प्रतिदिन	07.00 AM To 01.00 PM	सैन चौक से उत्सव भवन तक	4
8	प्रतिदिन	07.00 AM To 01.00 PM	एन०एच०24 से लेकर तिगडी गोल चक्कर तक	10

रूट चार्ट प्रारूप

शिफ्ट: द्वितीय

जोन का नाम		विजय नगर जोन	वाहन का प्रकार स्प्रिंकल/रोड स्विपिंग	रोड स्विपिंग
वाहन संख्या		वाहन चालक का नाम व मोबाईल नं०-		
माह		सितम्बर	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक का नाम व मोबाईल	श्रीमति हिर्देश, 9634107006
क्र०सं०	तिथि	कार्यकरने की अवधि	कार्य करने का स्थल (रूट)	कुल तय दूरी (कि०मी० में)
1	प्रतिदिन	01.00 PM To 06.00 PM	प्रताप विहार फ्लाई ओवर रेलवे क्रॉसिंग से एन०एच० 24 तक आना जाना	10
2	प्रतिदिन	01.00 PM To 06.00 PM	लीलावती चौराहे से सम्राट चौक तक आना जाना	3
3	प्रतिदिन	01.00 PM To 06.00 PM	लीलावती चौराहे से शिव मंदिर तक पार्श्व जी श्री संतराम यादव वाली रोड तक आना जाना	2
4	प्रतिदिन	01.00 PM To 06.00 PM	लीलावती चौराहे से राहुल विहार द्वितीय तक	4
5	प्रतिदिन	01.00 PM To 06.00 PM	मेडिकल चौराहे से डी०ए०वी० चौराहे तक	2
6	प्रतिदिन	01.00 PM To 06.00 PM	गौशाला फाटक से एन०एच० 24 तक आना तक	10
7	प्रतिदिन	01.00 PM To 06.00 PM	सैन चौक से उत्सव भवन तक	4
8	प्रतिदिन	01.00 PM To 06.00 PM	एन०एच०24 से लेकर तिगडी गोल चक्कर तक	10



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2018/माघ 5, 1939

No. 49]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2018/MAGHA 5, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 94(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-1 में, क्रम संख्या 105 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
- “106. पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं से संबंधित निर्माण एवं विध्वंस क्रियाकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों का आज्ञापक कार्यान्वयन :
 - (i) पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा वाली कोई भी भवन अथवा अवसंरचना परियोजना धूल उपशमन उपायों सहित अनुमोदित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के बिना कार्यान्वित नहीं की जाएगी।
 - (ii) निर्माण स्थलों पर या वहां तक जाने वाली सड़कें खड़जा और ब्लैकटॉप (अर्थात् मेटेलिक सड़कें) होनी चाहिए।
 - (iii) पर्याप्त धूल उपशमन उपायों के बिना मिट्टी की खुदाई नहीं की जाएगी।
 - (iv) कोई भी मिट्टी या रेत या निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट या धूल वाली कोई अन्य निर्माण सामग्री बिना ढके नहीं छोड़ी जाएगी।
 - (v) समुचित ऊंचाई अर्थात् भवन की ऊंचाई की 1/3 और अधिकतम 10 मीटर तक के विंड-ब्रेकर की व्यवस्था की जाएगी।
 - (vi) जल छिड़काव प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी।
 - (vii) निर्माण स्थल पर जनता को आसानी से दिखाई देने के लिए धूल उपशमन उपायों का स्पष्ट तौर पर प्रदर्शन किया जाएगा।

107. सभी निर्माण एवं विध्वंस क्रियाकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों का अनिवार्य कार्यान्वयन :

- (i) खुले क्षेत्र में भवन सामग्रियों की घिसाई तथा कटाई को प्रतिबंधित किया जाएगा।
- (ii) निर्माण सामग्री तथा अपशिष्ट का भंडारण केवल निर्धारित क्षेत्र के अंदर किया जाएगा और निर्माण सामग्री तथा अपशिष्ट को सड़क के किनारे भंडारण को प्रतिबंधित किया जाएगा।
- (iii) निर्माण सामग्री तथा अपशिष्ट ढोने वाले बिना ढके हुए किसी भी वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iv) निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान स्थल का अभिनिर्धारण किया जाएगा और स्थल पर अपेक्षित धूल उपशमन उपाय अधिसूचित किए जाएंगे।

नोट : उपरोक्त क्रम संख्यांक 106 और 107 उन नगरों और शहरों के लिए लागू होंगे जहां धूलकण 10/ धूलकण 2.5 राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में निर्धारित सीमाओं से अधिक हो।”

[फा. सं. क्यू-16017/172/2017-सीपीए]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में का.आ. सं. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए थे, अर्थात् :-

का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; सा.का.नि. 176(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1996; सा.का.नि. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 739(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2010; सा.का.नि. 809(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2010; सा.का.नि. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011; सा.का.नि. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011; सा.का.नि. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011; सा.का.नि. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011; सा.का.नि. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011; सा.का.नि. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012; सा.का.नि. 266(अ), तारीख 30 मार्च, 2012; सा.का.नि. 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2012; सा.का.नि. 820(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2012; सा.का.नि. 176(अ), तारीख 18 मार्च, 2013; सा.का.नि. 535(अ), तारीख 7 अगस्त, 2013; सा.का.नि. 771(अ), तारीख 11 दिसम्बर, 2013; सा.का.नि. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014; सा.का.नि. 229(अ), तारीख 28 मार्च, 2014; सा.का.नि. 232(अ), तारीख 31 मार्च, 2014; सा.का.नि. 325(अ), तारीख 7 मई, 2014; सा.का.नि. 612(अ), तारीख 25 अगस्त, 2014; सा.का.नि. 789(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2014; का.आ. 3305(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2015; का.आ. 4(अ), तारीख 1 जनवरी, 2016; सा.का.नि. 35(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016; सा.का.नि. 281(अ), तारीख 7 मार्च, 2016; सा.का.नि. 496(अ), तारीख 9 मई, 2016; सा.का.नि. 497(अ), तारीख 10 मई, 2016; सा.का.नि. 978(अ), तारीख 10 अक्तूबर, 2016; सा.का.नि. 1016(अ), तारीख 28 अक्तूबर, 2016 और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1265(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th January, 2018

G.S.R. 94(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: -

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, after serial number 105 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

“106. Mandatory Implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for projects requiring Environmental Clearance:

- (i) No building or infrastructure project requiring Environmental Clearance shall be implemented without approved Environmental Management Plan inclusive of dust mitigation measures.

- (ii) Roads leading to or at construction sites must be paved and blacktopped (i.e. metallic roads).
- (iii) No excavation of soil shall be carried out without adequate dust mitigation measures in place.
- (iv) No loose soil or sand or Construction & Demolition Waste or any other construction material that causes dust shall be left uncovered.
- (v) Wind-breaker of appropriate height i.e. 1/3rd of the building height and maximum up to 10 meters shall be provided.
- (vi) Water sprinkling system shall be put in place.
- (vii) Dust mitigation measures shall be displayed prominently at the construction site for easy public viewing.

107. Mandatory Implementation of Dust Mitigation Measures for all Construction and Demolition Activities:

- (i) Grinding and cutting of building materials in open area shall be prohibited.
- (ii) Construction material and waste should be stored only within earmarked area and road side storage of construction material and waste shall be prohibited.
- (iii) No uncovered vehicles carrying construction material and waste shall be permitted.
- (iv) Construction and Demolition Waste processing and disposal site shall be identified and required dust mitigation measures be notified at the site.

Note : The serial numbers 106 and 107 above shall apply to cities and towns where value of particulate matter 10/ particulate matter 2.5 exceeds the prescribed limits in National Ambient Air Quality Standards.”

[F. No. Q-16017/172/2017-CPA]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:—

S.O. 433(E), dated the 18th April, 1987; G.S.R. 176(E), dated the 2nd April, 1996; G.S.R. 97 (E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149(E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 739(E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated the 4th October, 2010; G.S.R. 215(E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354(E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424(E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446(E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152(E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; G.S.R. 277 (E), dated the 31st March, 2012; G.S.R. 820 (E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176(E), dated the 18th March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11th December, 2013; G.S.R. 2 (E), dated the 2nd January, 2014; G.S.R. 229 (E), dated the 28th March, 2014; G.S.R. 232 (E), dated the 31st March, 2014; G.S.R. 325 (E), dated the 7th May, 2014; G.S.R. 612(E), dated the 25th August, 2014; G.S.R. 789 (E), dated the 11th November, 2014; S.O. 3305 (E), dated the 7th December, 2015; S.O. 4(E), dated the 1st January, 2016; G.S.R. 35(E), dated the 14th January, 2016; G.S.R. 281(E), dated the 7th March, 2016; G.S.R. 496(E), dated the 9th May, 2016; G.S.R. 497(E), dated the 10th May, 2016; G.S.R. 978(E), dated the 10th October, 2016; G.S.R. 1016(E), dated the 28th October, 2016 and lastly amended *vide* notification GSR 1265(E) dated the 13th October, 2017.